कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8320/2020 कृष्णा खीचड़ व अन्य 08 बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II भर्ती परीक्षा 2013 में वरीयता क्रमांक 361 पर चयन हुआ है। याचिकार्थी उदयपुर जिले का स्थायी निवासी है। चयन के पश्चात याचिकार्थी ने उदयपुर मण्डल हेतु प्रथम वरीयता का विकल्प दिया था लेकिन याचिकार्थी को पदस्थापन हेतु कोटा मण्डल आवंटित किया गया। चूंकि याचिकार्थी उदयपुर मण्डल का निवासी है, इसलिए याचिकार्थी ने उदयपुर मण्डल मे ही पदस्थापित किए जाने की मांग की है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी से निम्न वरीयता क्रमांक वाले अभ्यर्थियो को उदयपुर मण्डल में ही पदस्थापित किया गया है। याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 विभिन्न विषय एव शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III में माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में विभाग द्वारा रिशफल मण्डल/जिला आवंटन किया गया है, अतः याचिकार्थी ने रिशफल मंडल आवंटन किये जाने की मांग की है।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II भर्ती परीक्षा–2013 हेतु राज्य सरकार द्वारा मण्डल आवंटन बावत् प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 29.03.2016 के अनुसार संभागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर उस संभाग को आवंटित किए जाएंगे। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना संभागवार ही की जाती है अतः संभाग के वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियॉं यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप वर्गवार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार संभाग आवंटित किया जावेगा, के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही मण्डल आवंटन किया गया है।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II भर्ती परीक्षा–2013 में जितने पद मण्डलवार/वर्गवार विज्ञापित किये गये हैं, उन मण्डलों को उतनी ही संख्या में चयनित अभ्यर्थी को वर्गवार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या तक विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित मण्डल एव आयोग द्वारा निर्धारित वरीयता के अनुसार आवंटित किये गये। याचिकार्थी का आयोग द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II में वर्ग OBC व चयन वर्ग GENM में वरीयता क्रमांक 361 पर चयन किया जाना पाया गया। इनसे संबंधित चयन वर्ग में निर्धारित उपलब्ध रिक्तियों के प्रति याचिकार्थी के समान चयन वर्ग के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों में आयोग की वरीयता एवं विभागीय नीति अनुसार निर्धारित किये गये उदयपुर मण्डल में अंतिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक 344 रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकार्थी से संबंधित चयन वर्ग में किसी कनिष्ठ अभ्यर्थी को विभागीय नीति अनुसार उदयपुर मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में की गई मांग के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित एवं आयोग द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों के पूर्व में किए गए मण्डल आवंटन के संबंध में डी.बी.रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2019) के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर नहीं किये जाने का स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय तथा वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकाष्ठ) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.17(21)माध्य/शिक्षा–2/वि0प्र0/2019 पार्ट, दिनांक 23.06.2020 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के रिशफल सम्भाग आवंटन हेतु शासन के पत्रांक प. 17(7) शिक्षा–2/2016 पार्ट दिनांक 01.07.2020 द्वारा दिशा–निर्देशों का अनुमोदन किए जाने पर वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व सम्भाग आवंटन में कार्यग्रहण किया गया, उन्हीं अभ्यर्थियों का रिशफल सम्भाग आवंटन किया गया।

अतः याचिकार्थी द्वारा रिशफल मंडल करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नही पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/13030/2020
दिनांकः– 17/06/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. याचिकार्थी गणपत लाल ओड, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कुल (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)